पक्षकार द्वारा उक्त वकील सही करे। सही वकील द्वारा
प्रार्थना पत्र पेश कराकर वादपत्र को दाखिल करवाना,
आज्ञानुसार अवकाश प्रार्थना पत्र का कोर्ट-
मतलब नहीं रहे जाता है। अतः प्रार्थना पत्र
रिकॉर्ड पर दाखिल अभिलेख होने से पक्षकार
कुमार रोकर दाखिल करते हैं।

रमेश
Ld.
विक्रम

कार्यालय तहसीलदार
नदबई (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner